

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं पत्रांक-3815 दिनांक-11.03.2016 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में निम्नांकित सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को अद्योलिखित वांछित शर्तों एवं बंधेजों के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-8 में अंकित कार्य प्रमंडल के कार्य प्रशाखा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्यालय आदेश संख्या एवं तिथि	सेवानिवृत्त कनीय अभियंता का नाम/गृह जिला	स्थायी पता एवं मोबाईल नं०	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	आरक्षण कोटि	पदस्थापित का प्रमंडल के का प्रशाखा का न
1	2	3	4	5	6	7	8
1	का०आ०सं०.....61..... दिनांक.19.3.2020	श्री विजय कुमार झा/मधुबनी	ग्राम+पो०-हटनी भाया-घोघरडीहा, जिला-मधुबनी, पिन-847402	11.01.60	31.01.2020	सामान्य	कार्य प्रमंडल, बिरौल, कार्य प्रशाखा कुशेश्वर स्थान-2
2	का०आ०सं०.....62..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री रामचन्द्र प्रसाद कर्ण/समस्तीपुर	ग्राम+पो०- मुरादपुर, भाया-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर, बिहार मो० नं०-9431162291	31.01.60	31.01.2020	सामान्य	कार्य प्रमंडल, बेलसंड, कार्य प्रशाखा, रून्नीसैदपुर-
3	का०आ०सं०.....63..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह/पटना	ग्राम+पो०- मनोहरपुर कछुआरा, थाना-गोपालपुर, जिला-पटना मो० नं०-9430513851	05.01.60	31.01.2020	पिछड़ा वर्ग-2	कार्य प्रमंडल, हाजीपुर, कार्य प्रशाखा लालगंज-1
4	का०आ०सं०.....64..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री सुनील कुमार सिंह/पटना	ग्राम-लोदीपुर, पो०-लखनपार, थाना-पुनपुन, जिला-पटना, पिन-804453 मो० नं०-8409825393	19.12.59	31.12.19	सामान्य	कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, का प्रशाखा, मोतिहारी-1
5	का०आ०सं०.....65..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री कौसर अली/पो चम्पारण	मोहल्ला- नोनियार टोली, वार्ड नं०-07, पो०+थाना- बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण, बिहार, पिन-845438 मो० नं०-8809516192	15.08.58	31.08.18	सामान्य	कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा, कार्य प्रशाखा मशरख-1

6	का0आ0सं0.....66..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री मतीउर रहमान/ भोजपुर	भोजपुर	03.12.59	31.12.19		कार्य प्रमंडल, हिलसा, कार्य प्रशाखा, करायपरशुराय
7	का0आ0सं0.....67..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री वकील प्रसाद/बक्सर	ग्राम, मो0-पुराना भोजपुर, जिला-बक्सर, बिहार, पिन-802133 मो0 नं0-7033388725	21.03.59	31.03.19	अ0पि0 व0	कार्य प्रमंडल, हरनौत, कार्य प्रशाखा, हरनौत-1
8	का0आ0सं0.....68..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री दीना नाथ राय/रोहतास	दीना नाथ राय, ग्राम-रीवाँ, पो0- अख्तियारपुर भाया-कुदरा, जिला-रोहतास मो0 नं0-6299550862	12.01.59	31.01.19	पिछड़ा वर्ग-2	कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, कार्य प्रशाखा, नवीनगर-1
9	का0आ0सं0.....19..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री कुमोद कुमार सिन्हा/ समस्तीपुर	अभियंता निवास, मु0-काशीपुर, वार्ड नं0-12, पो0-समस्तीपुर, थाना-समस्तीपुर जिला-समस्तीपुर मो0 नं0-8877408474	25.02.59	28.02.19		कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1, कार्य प्रशाखा, हनुमाननगर-2
10	का0आ0सं0.....70..... दिनांक..... 19.3.2020	श्री राम शंकर झा/बेगूसराय	ग्राम+पो0- संजात, भाया-तेघड़ा, जिला-बेगूसराय, पिन-851133 मो0 नं0-9471452906	15.01.59	31.01.19	सामान्य	कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर, कार्य प्रशाखा, पुसा-1

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त सभी संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने नव पदस्थापित कार्यालय में असैनिक शल्य चिकित्सक से शारीरिक स्वस्थता से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ योगदान देकर योगदान प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त तालिका के क्रमांक-01 पर अंकित सेवानिवृत्त कनीय अभियंता का नियोजन/पदस्थापन इस शर्त के साथ की जा रही है कि इनपर वर्तमान में प्रतिवेदित आरोप के आलोक में गठित आरोप पत्र के समीक्षोपरान्त मामला यदि विभागीय कार्यवाही में परिणत हो जाता है, तो इनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

उपरोक्त तालिका के क्रमांक-06 पर अंकित सेवानिवृत्त कनीय अभियंता का नियोजन/पदस्थापन इस शर्त के साथ की जा रही है कि वे योगदान करने के समय अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई न्यायालयीय मामला/थाना काण्ड दर्ज नहीं है।

संबंधित कार्यपालक अभियंता इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं का पदस्थापन उनके कार्यालय में हुआ है, वे योगदान समर्पित किये है अथवा नहीं दोनों ही स्थिति से विभाग को निश्चित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

Office Order

नवीन



5. यह कार्यालय आदेश निर्गत होते ही संबंधित पूर्व में निर्गत पदस्थापन संबंधी संगत आदेश विलोपित समझे जायेंगे।

6. उपरोक्त तालिका में अंकित सभी संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का सेवा/ नियोजन संबंधी शर्त एवं मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण/भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं पत्रांक-3815 दिनांक-11.03.2016 में सन्निहित प्रावधान एवं समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी अन्य आदेश के आलोक में किया जाएगा। मानदेय/पारिश्रमिक उसी तिथि से भुगतेय होगा, जिस तिथि से उक्त संविदा से सेवानिवृत्त कनीय अभियंता नवपदस्थापित कार्यालय/कार्य प्रमंडल में अपना योगदान समर्पित करेंगे। इस आदेश का अनुपालन संबंधित नियंत्रि पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

7. उक्त में से संविदा पर नियोजित किसी भी सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के संबंध में प्रतिकूल तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर उनका संविदा आधारित नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द/समाप्त कर दी जाएगी।

8. यह नियोजन बिल्कूल ही अस्थायी है, यदि विभाग को नियमित रूप से कनीय अभियंता के नियुक्ति संबंधी अनुशंसा प्राप्त हो जाती है अथवा अन्य किसी स्रोत से विभागीय आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, तो आवश्यकतानुसार संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं के नियोजन को रद्द/समाप्त किये जाने के बिन्दु पर विभाग एकपक्षीय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

9. उक्त तालिका में अंकित संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंता (असैनिक) का कार्य संतोषप्रद एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं पाये जाने पर उन्हें किसी भी समय बिना किसी सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

10. यदि इस कार्यालय आदेश में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो, तो :-

(क) संबंधित संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंता (असैनिक) अथवा संबंधित कार्यपालक अभियंता सीधे अद्योहस्ताक्षरी को आवेदन/प्रतिवेदन संबोधित कर शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध करेंगे।

(ख) इन संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं का जहाँ पदस्थापन किया जा रहा है, उन कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि पदस्थापित सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं का योगदान स्वीकृत कर तत्काल प्रभाव से प्रभार दिलायें। इस आशय से वे विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि इसमें कोई कठिनाई हो, तो सीधे अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित कर यथोचित निदेश प्राप्त करेंगे।

11. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:-4/अ०प्र०-01-22/2016 (खंड) 1798 /पटना दिनांक- 19-3-2020
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-22/2016 (खंड) 1798 /पटना दिनांक- 19-3-2020
प्रतिलिपि: विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(19/03/2020)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-22/2016 (खंड) 1798 /पटना दिनांक- 19-3-2020
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग एवं अन्य सभी संबंधित विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(19/03/2020)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-22/2016 (खंड) 1798 /पटना दिनांक- 19-3-2020
प्रतिलिपि:-संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता, 1, 2, 3 एवं 4 ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (कार्य या अकार्य)/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग (कार्य या अकार्य)/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित सेवानिवृत्त कनीय अभियंता (असैनिक), ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(19/03/2020)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-22/2016 (खंड) 1798 /पटना दिनांक- 19-3-2020
प्रतिलिपि: सभी संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(19/03/2020)

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-22/2016 (खंड) 1798 /पटना दिनांक- 19-3-2020
प्रतिलिपि: आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को यह कार्यालय आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(19/03/2020)

अभियंता प्रमुख।

1-1